न्यायालय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, म०प्र०, ग्वालियर

प्र०क्र० /94 निगरानी

1- रामनारायण पुत्र [illegible]
जाति ब्राह्मण

2- महिला [illegible] पुत्री [illegible] जाति ब्रा०
पत्नी रामा [illegible] निवासी [illegible]
(मृतक) द्वारा पुत्र [illegible]
रामनारायण पुत्र [illegible]
[illegible] अलीपुरा
परगना [illegible] जिला [illegible]
--- प्रार्थी

बनाम

1- महिला [illegible]
[illegible] (मृतक)

2- महिला [illegible] पत्नी [illegible]
[illegible] (मृतक)

3- महिला [illegible] पत्नी [illegible]
[illegible] (मृतक)

4- महिला [illegible] पत्नी [illegible]
[illegible] (मृतक)

5- महिला [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] पुत्र [illegible]
निवासी ग्राम अलीपुरा परगना
[illegible] जिला [illegible]
---प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०संहिता
विरुद्ध आदेश [illegible] दिनांक
13-12-93 प्र०क्र० 37/91-92 [illegible]
(आदेश के पैरा 4 के अनुसार निगरानी)

क्रमशः-2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 201/1994 जिला–श्योपुर

क्रमांक दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-8-16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आर0डी0 शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्र0क्र0 87/91–92/अपील में पारित आदेश दिनांक 13.12.93 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता अधिनियम 1959 की धारा–50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पिपरदा में स्थित प्रश्नाधीन भूमि जिसका सर्वे क्रमांक 18 रकबा 3 बीघा 8 विस्वा, सर्वे नं0 60 रकबा 7 बीघा, 7 विस्वा सर्वे नं0 98 रकबा 4 बीघा 18 विस्वा तथा ग्राम हथवारी में स्थित भूमि जिसका सर्वे क्र0 3 रकबा 2 बीघा एवं 82 रकबा 12 बीघा 10 विस्वा के बंटवारे हेतु अनावेदक क्र0 1 व उसका मुख्त्यारआम गौरीशंकर द्वारा आवेदन पत्र मय धारा 178 के अंतर्गत नायब तहसीलदार बडौदा के न्यायालय में पेश किया । आवेदक, अनावेदक क्र0 1 एवं मुख्त्यारआम के कथन लिये गये । प्रकरण में कोई आपत्ति न आने पर नायब तहसीलदार बड़ौदा ने आवेदक क्र0 1 के हित में दिनांक 28.11.89 को बटवारे का आदेश पारित किया, जिसके विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुरकलां, जिला–मुरैना के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक	

15/89–90/अपील माल में दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 15.02.91 से नायब तहसीलदार के आदेश को निरस्त करते हुये अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई तथा प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि वे समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विधिवध आदेश पारित करें। अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुरकलां के उक्त आदेश दिनांक 15.02.91 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय में पेश की गई साथ ही आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा अपील को निगरानी में परिवर्तित किये जाने हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया जो अपर आयुक्त द्वारा स्वीकार किया गया । अपर आयुक्त न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 87/91–92/अपील माल पर दर्ज किया गया तथा प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रत्यावर्तित के आदेश को विधिसम्मत मानते हुये, आदेश दिनांक 13.12.93 को निगरानी अस्वीकार की गई । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह बताया गया है कि निगरानी तिथि, रिकॉर्ड एवं औचित्य के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है । विचारण न्यायालय के स्तर पर जो दोष–त्रुटियां आदेश में अंकित है स्वयं अपर आयुक्त कथित दोष–त्रुटियों को गंभीर नहीं मानते । लिपिकीय भूल व तत्सम मानते है । ऐसा होते हुये भी प्रकरण

प्रतयावर्तित करना अनौचित्य पूर्ण है । तहसील न्यायालय में बंटवारा के प्रकरण में कोई आपत्ति प्रस्तुत न करने पर भी अनावेदक की अपील स्वीकार करने में त्रुटि की है । अतः प्रस्तुत बिन्दुओं पर ध्यानपूर्वक मनन करते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर, निगरानी स्वीकार की जावे ।

4/ अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित। उन्होंने आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी को आधारहीन माना है एवं नायब तहसीलदार, बड़ोदा ने जो निर्णय दिया है वह विधिसम्मत माना है । अतः उनके द्वारा नायब तहसीलदार, बड़ोदा का आदेश स्थिर रखते हुये प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसमें यह प्रकट होता है कि गौरीशंकर विचारण न्यायालय में पक्षकार था और उसे अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी श्योपुरकलां ने पक्षकार नहीं बनाया है । किन्तु गौरीशंकर अपीलीय न्यायालय में स्वंय उपस्थित हुआ और इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में असंयोजन के दोष को परिमार्जित माना है। मैं अनुविभागीय अधिकारी श्योपुरकलां के निकाले गये निष्कर्ष से सहमत हूँ ।

6/ विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश से यह प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय में आदेश में माह और वर्ष अंकित किया है, किन्तु दिनांक अंकित नहीं

किया है । यह मात्र लिपिकीय त्रुटि है और आर्डरशीट के अवलोकन से आदेश पारित करने के दिनांक 15.02.91 की पुष्टि भी होती है ।

7/ अधीनस्थ न्यायालय ने जो प्रक्रिया एवं अन्य अनिमियततायें दर्शायी हैं, जो पैरा 3 में उल्लेखित है, उनकी पुष्टि भी विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से होती है । विचारण न्यायालया में सभी संयुक्त खातेदारों ने बटवारे से सहमति व्यक्त की है और कोई आपत्ति न होना दर्शाया है, किन्तु प्रकरण में जो अनियमिततायें परिलक्षित हो रही है इन अनियमिततओं का परिमार्जन करना न्यायहित में आवष्यक है । अतः मेरे मतानुसार अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुरकलां के द्वारा जो प्रत्यावर्तित का आदेश पारित किया है वह विधिनुकूल है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 13.12.93 से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश कि पुष्टि की है ।

8/ उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर विदित होता है कि अनुविभागीय अधिकारी श्योपुरकलां द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही संपादित की गई है । अतः अनुविभागीय अधिकारी श्योपुरकला के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.02.91 एवं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.12.93 स्थिर रखा जाता है और प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त होकर अभिलेख दाखिल रिकार्ड हो ।

(एम0पी0 सिंह)
सदस्य